**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**08.02.2019 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 732 का उत्‍तर**

**राजधानी एक्सप्रेस में भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट**

**732. श्रीमती शांता क्षत्रीः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2014 से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में खाद्यान्न वस्तुएं कम मात्रा में परोसे जाने और रेल के किराए में अत्यंत वृद्धि किए जाने से रेल यात्री असंतुष्ट हैं;

(ख) क्या सरकार यात्रियों के लिए किफायती उपाय करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क): जी नहीं। खानपान नीति 2017 के अनुसार, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), पूर्वी भारत तक जाने वाली राजधानी गाड़ियों सहित पूर्व-भुगतान वाली गाड़ियों, जिनमें यात्री किराए में खानपान शुल्क शामिल होता है, की व्यंजन-सूची का युक्तिकरण किया है। व्यंजन-सूची के युक्तिकरण के तहत, आईआरसीटीसी ने यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार भोजन की प्रकृति को परिवर्तित किया है। बहरहाल, व्यंजन-सूची वर्तमान दर-सूची के अनुरूप है।

(ख) और (ग): यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी सार्मथता को ध्यान में रखकर समय-समय पर खानपान मदों की दर-सूची को निर्धारित करना और अधिसूचित करना, भारतीय रेल का प्रयास है। मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों और स्थैतिक इकाइयों के लिए मानक मदों की दर-सूची में संशोधन पिछली बार 2012 में और सभी पूर्व-भुगतान वाली राजधानी/शताब्दी/दूरंतों गाड़ियों के लिए 2013 में किया गया था।

भारतीय रेल ने खानपान के लिए निम्नलिखित किफायती उपाय भी किए हैं:

(i) गाड़ियों में और प्लेटफॉर्मों पर जनता भोजन और मानक भोजन की शुरुआत करना।

(ii) रेलवे स्टेशनों (जहाँ भोजन की कीमत 5 रु. से 50 रु. तक निर्धारित की गई है) पर जन आहार की शुरुआत करना।

(iii) रेलवे स्टेशनों पर ई-कैटरिंग सेवाओं का प्रावधान करना।

(iv) रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रावधान करना।

\*\*\*\*\*